न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2017/00189
मिसल नम्बर–66/2017

1.श्याम सुन्दर आत्मज श्री कृष्ण चन्द्र जाति ब्राह्मण
2.ओमप्रकाश आत्मज श्री कृष्ण चन्द्र जाति ब्राह्मण
3.सत्यनारायण आत्मज श्री कृष्ण चन्द्र जाति ब्राह्मण
4.गणेश शंकर आत्मज श्री कृष्ण चन्द्र जाति ब्राह्मण
5.लक्ष्मीनारायण आत्मज श्री कृष्ण चन्द्र जाति ब्राह्मण निवासीगण– कैथून तहसील लाडपुरा, जिला कोटा राज0

–प्रार्थीगण

बनाम

1.राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा राज0
2.धनराज आत्मज जुगल किशोर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम गोदल्याहेड़ी तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0

–अप्रार्थीगण

–:निर्णय:–

(राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत् प्रार्थना पत्र।)

दिनांक 12/1/2026

उपस्थित–
1.श्री सुधिन्द्र यादव अधिवक्ता प्रार्थी
2.श्री राजेन्द्र कुमार अधिवक्ता अप्रार्थी क्रम 2
3.सरकार पैरोकार उप0।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत् प्रार्थना–पत्र प्रार्थी की ओर से जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण के खाते की भूमि खसरा नम्बर 425 रकबा 0.10 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 426 रकबा 3.76 हैक्टर वाके ग्राम कैथुन मे स्थित है। खसरा नम्बर 160 रकबा 0.77 हैक्टर प्रतिवादी नम्बर–1 के खाते दर्ज है, जो कि चराई हेतु राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है जिसका उपयोग प्रार्थीगण वर्षों से आम रास्ते के रूप में करते आ रहे है तथा अपने कृषि यंत्र, फसल, ट्रेक्टर आदि लेकर आते जाते है। खसरा नम्बर 471 गोदल्याहेडी रास्ता आम रास्ता है उस रास्ते से ही उक्त रास्ता खसरा नम्बर 160 जुडा हुआ है, परन्तु खसरा नम्बर 160 राजस्व रिकार्ड मे आम रास्ते के रूप मे दर्ज नही है, इसलिए राजस्व रिकार्ड में रास्ता कायम नही होने के कारण प्रतिवादी नम्बर–2 के काश्तकार उक्त भूमि पर कब्जा करने का निरन्त प्रयास करते है। जिससे प्रार्थीगण को उक्त आम रास्ते से आने जाने में व्यवधान

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उत्पन्न होता है। पिछले दिनो भी प्रतिवादी नम्बर–2 द्वारा उक्त रास्ते पर खाई खोद दी गई, जब पटवारी महोदय से सम्पर्क किया, तो पटवारी महोदय ने कहा कि राजस्व रिकार्ड मे उक्त भूमि आम रास्ते के रूप में दर्ज नही होने के कारण मैं कोई कार्यवाही नही कर सकता। प्रार्थीगण द्वारा तहसील लाडपुरा मे भी इसकी शिकायत की गई परन्तु वहां पर भी यही कहा गया कि राजस्व रिकार्ड में आम रास्ता कायम करवाओ। इसलिए प्रार्थीगण के तलिए उक्त खसरा नम्बर 160 जो प्रतिवादी नम्बर–1 के खाते दर्ज है उस पर आम रास्ता राजस्व रिकोर्ड में कायम किया जाना आवश्यक हो गया है। दिनांक 8.10.2017 को भी प्रतिवदी नम्बर–2 द्वारा जो खसरा नम्बर 159 का खातेदार है, खसरा नम्बर 160 जिसका उपयोग प्रार्थीगण आने जाने में करते है उस पर कब्जा करने का प्रयास करता रहता है, जिससे प्रार्थीगण को अपने खेत खसरा नम्बर 425, 426 में आने जाने मे व्यवधान उत्पन्न हो गया। इसलिए उक्त खसरा नम्बर 160 पर आम रास्ता राजस्व रिकार्ड में कायम करवाना आवश्यक हो गया है। वाद कारण दिनांक 08. 10.2017 को कुछ लोगो द्वारा उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करने पर व्यवधान उत्पन्न हो जाने व तहसीलदार लाडपूरा को रास्ता कायम करने हेतु प्रार्थना पत्र देने के बावजूद रास्ता कायम नही करने के कारण उत्पन्न हुआ है। तहसीलदार साहब लाडपुरा के आदेश दिनांक 20.10.2004 के अनुसार वर्तमान में प्रार्थीगण खसरा नं0 160 में होकर आ जा रहे है, जिसकी प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण के खेत खसरा नं0 425, 426 में जाने के लिए प्रतिवादी के खाते दर्ज खसरा नं0 160 पर राजस्व रिकार्ड में नया रास्ता कायम किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस प्रेषित कर जवाब हेतु तलब किया गया।

अप्रार्थी क्रम 2 की ओर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह जाहिर किया है कि प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय हाजा में अति आवश्यकता बताते हुए उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है और प्रार्थी ने अपने खातेदारी की भूमि पर आने जाने के लिये रारते का वैकल्पिक मार्ग न होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में दिनांक 22.11.17 को प्रस्तुत किया गया था, जिसका न्यायालय द्वारा प्रार्थी को अंतिम अवसर देते हुए तलबी हेतु 04.07.2025 के बाद प्रार्थी को अप्रार्थी कम 2 की तलबी हेतु तलबाना प्रस्तुत किया गया, जो कोर्ट की पत्रावली में उपलब्ध है। प्रार्थी के रिश्तेदार द्वारा उक्त खसरा नंबर 160 ग्राम गोदल्याहेड़ी, तह0 लाडपुरा पर ईटें डाल कर अवरोध पैदा कर रखा है और अप्रार्थी कम 2 खसरा नं0 160 ग्राम गोदल्याहेड़ा पर कोई अवरोध नहीं पैदा कर रखा है, गलत तथ्यों पर प्रार्थी ने अप्रार्थी कम 2 के विरूद्ध उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो स्वीकार होने योग्य नहीं है । क्योंकि प्रार्थी भी उक्त खसरा नंबर पर विगत कई वर्षों से अपनी आराजी खसरा नं० 425 एवं 426 पर उक्त खसरा नं0 160 रकबा 0.77 पर से ही आता जाता रहा है और अप्रार्थी कम 2 भी अपनी आराजी खसरा नं० 159 पर उक्त आराजी से ही आता

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

जाता रहा है और उक्त भूमि सिवायचक दर्ज है। उक्त प्रार्थना पत्र में समीपवर्ती खातेदारा को पक्षकारान नहीं बनाया गया, क्योकि उक्त आराजी से लगबां आराजी खसरा नं० 431 रकबा 1.35 है, जिसके खातेदार हुकुम चन्द आत्मज गोबरीलाल एवं आराजी खसरा नं० 432 रकबा 0.74 है० के खातेदार गुलाब बाई वगै० को पक्षकार नहीं बनाया गया है। जबकि उनको पक्षकारा बनाये बिना उक्त प्रार्थना पत्र चल नहीं सकता और समीपवर्ती खातेदार को पक्षकारा बनाये बिना उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तृत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्राथेना पत्र उक्त तथ्यों के आधार पर सव्यय खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी क्रम 1/ तहसीलदार लाडपुरा से तत्थ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें तहसीलदार लाडपुरा द्वारा कथन किया गया है कि उक्त आराजी पर पहुंच मार्ग की समस्या कभी नहीं रही एवं वर्तमान में भी पहुंच मार्ग की कोई समस्या नहीं है। प्रार्थी या प्रार्थी का परिवार उक्त आराजी में लगातार फसल करते आ रहे है। एवं वर्तमान में भी उक्त आराजी में फसल वगै0 रही है। जिसकी गिरदावरी की प्रतिलिपी साथ में संलग्न हैं उक्त आराजी प्रार्थी एवं अन्य खातेदारों की सयुक्त रूप से भूमि दर्ज रेकार्ड है जिसमें पहुंच मार्ग की कोई समस्या नहीं है एवं उक्त आराजी में न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्या) कोटा में मुकदमा नं0 106/19 वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में जैरकार है।

हमने प्रार्थीगण के अभिभाषक की बहस सुनी। प्रार्थीगण की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराया गया। प्रार्थीगण की ओर से न्यायिक दृष्टांत 2016 (1) RRT 440, 2018(2) RRT1193, 2018(1) RRT 706 पेश किए गए।

हमने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रार्थना पत्र उसके जवाब तथा प्रार्थीगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया। तहसीलदार रिपोर्ट में स्पष्टतया अंकित है कि विवादित आराजी खसरा नं0 425, 426 पर पहुंच मार्ग की कभी कोई समस्या नहीं रही एवं वर्तमान में भी उक्त विवादित आराजी पर पहुंच मार्ग की कोई समस्या नहीं है। उक्त आराजी पर प्रार्थी व प्रार्थीगणों के परिवार द्वारा लगातार कृषि कार्य किया जा रहा है।

हमने धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से ससम्मान मार्गदर्शन प्राप्त किया। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अनेक बार यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि धारा 251 (क) का प्रयोग उसी स्थिति में किया जाना चाहिए जबकि रास्ते का आत्यन्तिक अभाव हो। तहसीलदार रिपोर्ट से प्रमाणित है कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण के पहुंच का मार्ग उपलब्ध है। मौके पर पहुंच मार्ग की कभी कोई समस्या नहीं रही एवं वर्तमान में भी उक्त विवादित आराजी पर पहुंच मार्ग की कोई समस्या नहीं है। उक्त आराजी पर प्रार्थी व प्रार्थीगणों के परिवार द्वारा लगातार कृषि कार्य किया जा रहा है। उक्त रास्ता पूर्व में भी चालू व प्रचलित था।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

चूंकि प्रकरण में वैकल्पिक रास्ता मौजूद है अतः उक्त परिस्थितियों मे हम प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं पाते है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 12/1/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा